धर्मचन्द बनाम बरजी

दिनांक	आज्ञा पत्र
4.7.24	पत्रावली पेश। अपील उपस्थित एड. [illegible] अपीलार्थी ने प्रा.पत्र 041 R 27 CPC पेश किया, जवाब की प्रति [illegible] रहे। बाद जवाब हेतु बहस प्रा.पत्र 041 R 27 CPC दिनांक 15.7.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
15.7.24	पत्रावली पेश। बहस प्रा.पत्र 041 R 27 CPC पर उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश (प्रा.पत्र 041 R 27) दिनांक 19.7.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
19.7.24	पत्रावली पेश। बहस प्रा.पत्र 041 R 27 CPC उभयपक्ष पर मनन किया। प्रा.पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित प्रा.पत्र 041 R 27 CPC स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात रिकार्ड पर लिए जाते हैं। बाद बहस अंतिम दिनांक 22.7.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
22.7.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/8/24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
5/8/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 15/2021

1 धर्मचन्द पुत्र जगदीश पौत्र त्रिलोकाराम जाति जाट निवासी लाडपुर तहसल खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बरजी देवी पत्नी परसाराम।
2 सागरमल पुत्र परसाराम।
3 जगदीश प्रसाद पुत्र परसाराम।
4 भागीरथ प्रसाद पुत्र कुशला।
5 कमली देवी पत्नी बनवारीलाल।
6 कमली पत्नी बनवारीलाल।
7 मुकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल।
8 मक्खनलाल पुत्र बनवारीलाल।
9 मन्जु पुत्री बनवारीलाल समस्त जाति जाट निवासीगण लाडपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर।
10 पटवारी हल्का ग्राम मलिकपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर।
11 उप पंजियक खण्डेला जिला सीकर।
12 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्व आदेश दिनांक 25.02.2021 प्रार्थना पत्र अस्थायी
निषेधाज्ञा संख्या 12/2021 बउनवानी धर्मचन्द
बनाम बरजी देवी आदि पारित द्वारा उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला जिसके द्वारा प्रार्थीगण का आवेदन टी.आई.
को खारिज किया गया है।

उपस्थिति :

1. श्री हरफुल सिंह खीचड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मोहनसिंह मूण्ड, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 5.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 12/2021 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत धर्मचंद वगैरह बनाम मु. बरजी देवी आदि के शीर्षक का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर में अपीलकर्ता धर्मचंद तथा अन्य द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मूल वाद किशनदयाल आदि बनाम बरजीदेवी वगैरह दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा में प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा समस्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कानूनी प्रकियाओं को दरकिनार करके गलत व मनमाने तरीके से आवेदन टी. आई. को दिनांक 25.02.2021 को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला के समक्ष अपीलकर्ता का प्रार्थना पत्र टी.आई संख्या 12/2021 धर्मचंद वगैरह बनाम बरजीदेवी वगैरह तथा कोस टी.आई. आवेदन शीर्षक बरजी देवी बनाम किशनदयाल वगैरह को धारा 151 सीपीसी में मात्र समेकित किया जाकर न्यायोचित आदेश पारित किया जाना चाहिए था। आवेदन धारा 151 सीपीसी की आड में केवल प्रार्थना पत्र टी.आई संख्या 12/2021 धर्मचंद बनाम बरजीदेवी आदि को कानूनन खारिज करने का आदेश नितांत विधि के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। आदेश मैरिट पर नहीं किया गया है तथा प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति तथा सुविधा के संतुलन के तीनों घटकों पर कोई तथ्यात्मक रूप से ना तो कोई विचार किया गया है ना ही विधि अनुकूल आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व मौका कमिश्नर की रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांकित 25.02.2021 पारित किया गया है। विचारण न्यायालय खण्डेला को विधिनुसार कार्यवाही करते हुए दोनों आवेदनों को मैरिट पर निस्तारित एक ही आदेश से किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया है। मूल वाद किशनदयाल आदि बनाम बरजीदेवी वगैरह बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन टी.आई. संख्या 12/2021 धर्मचंद वगैरह बनाम बरजीदेवी वगैरह के तथ्यों का ना तो गम्भीरतापूर्वक अवलोकन ही किया है और ना ही बरजी देवी बनाम किशनदयाल वगैरह के प्रार्थना पत्र टी.आई. का ही ना तो चुनौतीग्रस्त आदेश में विस्तार से विवेचन किया गया है और ना ही गुणावगुण पर मामला निस्तारित किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी

प्रभारी अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के तहत शीघ्र सुनवाई करने हेतु पत्रावली संख्या 12/2021 धर्मचंद आदि बनाम बरजीदेवी वगैरह को तलब करने मात्र का पेश किया जा सकता है ना कि मूल प्रार्थना पत्र संख्या 12/2021 धर्मचंद आदि बनाम बरजी देवी आदि अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निर्णय/निस्तारण इस धारा 151 सीपीसी के तहत नहीं किया जा सकता है। इस कानूनी स्थिति पर अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा कतई विचार व मनन विधि स्थिति का नहीं किया है। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विभाजन का वाद विचारण न्यायालय में लम्बित है। विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन नहीं हुआ है। विवादित भूमि सहखातेदारी में दर्ज है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में विरोधाभाषी विवेचन किया है। विचारण न्यायालय ने अंकित किया है कि वाद बाहुल्यता को न्यायालयी दायित्व अनुसार रोकने के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र टी.आई. इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। यदि विचारण न्यायालय अविभाजित भूमि में वाद बाहुल्यता रोकने की मंशा रखते तो ताफैसला वाद विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित करते ऐसा नहीं कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पक्षकारान ने मौके पर वाहमी विभाजन कर रखा है। अपीलांट स्थगन की आड़ में रेस्पोडेन्ट को उनके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित करना चाहता है। विभाजन के वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना विधि सम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों पर मनन कर विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विभाजन का वाद विचारण न्यायालय में लम्बित है। विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन नहीं हुआ है। विवादित भूमि सहखातेदारी में दर्ज है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में विरोधाभाषी विवेचन किया है। विचारण न्यायालय ने अंकित किया है कि वाद बाहुल्यता को न्यायालयी दायित्व अनुसार रोकने के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र टी.आई. इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। यदि विचारण न्यायालय अविभाजित भूमि में वाद बाहुल्यता रोकने की मंशा रखते तो ताफैसला वाद विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित करते ऐसा नहीं कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 12/2021 में दिनांक 01.02.2021 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 5.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर